

SHRI MOHD. SHAFI QURESHI : That is justified in the statement itself.

(ii) **THE ESSENTIAL COMMODITIES (SECOND AMENDMENT) ORDINANCE, 1967**

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND CO-OPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE) : I beg to lay on the Table a copy of the explanatory statement giving reasons for immediate legislation by the Essential Commodities (Second Amendment) Ordinance, 1967, as required under rule 71(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha. [Placed in Library, See No. LT-1496/67].

SHRI RANGA : I voice my protest in the same manner about this also. This was promulgated on the 21st October. If they had waited for these 23 days for the House to meet, heavens would not have fallen. I protest against this bad habit of the Government to rush to ordinances.

SHRI PILOO MODY (Godhra) : Government by ordinance.

SHRI RANGA : I know how the Congress Party works within itself. If it is only a Bill, the members of the Congress Party and its executive or its general body would have an opportunity of giving some thought to it and helping their own Ministers to see that some obnoxious provisions are not included. Instead of that they simply issue an ordinance without the knowledge of their own party members, and other Ministers also, and get it passed by a rubber stamp from Rashtrapati Bhavan, and thereafter they make it difficult even for their own party to use its own judgment, with the result that the House is always put at a very great disadvantage. I am glad the Minister of Parliamentary Affairs is here in the House today.

It is his special responsibility to see that these ordinances are not allowed to be passed by these people in such a light-hearted manner irrespective of the wishes and judgment not only of the whole of the House, but also of their own party.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर) :  
उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहूंगा ।

जिस तरह से यह अध्यादेश जारी किए गए हैं वह आलोचना का विषय है। या तो सरकार को इस बात का पूर्वाभास कर लेना चाहिए था कि ऐसी परिस्थिति पैदा होगी जिस में कानून को कड़ा करने की आवश्यकता न पड़ेगी और इस तरह का पूर्व विचार कर के कि जब सदन की पिछली बैठक हो रही थी तो उस में नियमित रूप से विधेयक संसद के सामने लाना चाहिए था किन्तु यदि सरकार आने वाली घटनाओं का पहले से अन्दाजा नहीं लगा सकी तो फिर उसे संसद की वर्तमान बैठक के लिए रुकना चाहिए था। मुझे पता नहीं, मंत्री महोदय ने क्या वक्तव्य दिया है लेकिन हम जानना चाहेंगे कि जब से आर्डिनेंस जारी किया गया है तब से और आज जब विधेयक पेश किया जा रहा है क्या इस आर्डिनेंस के अन्तर्गत कोई कार्यवाही की गई है? क्या इस अध्यादेश का कोई औचित्य है और यदि कोई औचित्य नहीं है तो फिर इस तरह के अध्यादेश जारी करके कानून बनाने का तरीका गलत है और हम उसके विरोधी हैं।

SHRI ANNASAHIB SHINDE : I agree with the hon. Member, Prof. Ranga, that ordinances should not be promulgated in a light-hearted manner, but may I submit for the kind consideration of the hon. member that this has not been done in a light-hearted manner at all, because, as far as this specific ordinance in regard to which I have made a statement is concerned, it refers to the sugar policy. The Government was very anxious to formulate a new sugar policy as early as possible, and hon. members were also many times agitated over the issue, that it should be done as early as possible. When actually the Government arrived at a decision, the Lok Sabha was not in session. Only the Rajya Sabha was in session, and on the last day of the Rajya Sabha that statement on the new sugar policy was made. Subsequent to that, in order to implement the new sugar policy, the Ministry of Law was consulted, and the Ministry of Law concurred that for this the amendment of law would be necessary. The new sugar season was to commence

on 1st October, 1967, and before the factories went into production it was quite necessary, in the interests of production itself, that the new policy was formulated and announced so that the sugar units were in a position to have contacts with sugarcane growers for purchase of sugarcane etc. I think it was inevitable in those circumstances to promulgate an ordinance.

**श्री मधु लिमये (मुंगेर) :** अध्यक्ष महोदय, इस चीनी नीति की जो पृष्ठभूमि है उस को देखते हुए यह अध्यादेश के जरिए काम करने की नीति कितनी खतरनाक है इस का पता चलेगा। मेरा ख्याल है कि लोक सभा का सत्र मूलतः हुआ 13 तारीख को और दो दिन तीन दिन के अन्दर इन्होंने नई नीति की घोषणा की। जानबूझ कर लोक सभा का सत्र समाप्त होने के बाद नई नीति की घोषणा की गई है जिस के तहत अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक चीनी कारखाने के मालिक ने हम को बताया कि इस नई नीति के तहत एक टन के पीछे 300 रुपए से ले कर 400 रुपए तक अतिरिक्त मुनाफा कारखानेवालों को मिलने वाला है। तो इस साल, उपाध्यक्ष महोदय, 25 लाख की अपेक्षा की जा रही है और उस में से 40 प्रतिशत मुक्त व्यापार के लिये छोड़ दिया गया है, मतलब 10 लाख टन और एक टन के पीछे कम से कम 300 रु० और अधिक 400 रु० हों, तो कम से कम 30 करोड़ से लेकर 40 करोड़ तक पैसा चीनी पैदा करने वालों अर्थात् चीनी के कारखानों को इन्होंने दे दिया है।

मैं आपकी मार्फत, उपाध्यक्ष महोदय, यह जानना चाहता हूँ कि क्या इस में से कुछ पैसा कांग्रेस पार्टी को मिला है, नौकरशाह को मिला है, मंत्रियों को मिला है? बाजार में दीवाली के समय चीनी 7-8 रु० किलो हो गई थी। तो इन चीजों पर हम बहस करना चाहते थे, लेकिन इन्होंने जानबूझ कर नई चीनी नीति की घोषणा लोक सभा सत्र समाप्त होने

के बाद की है। इस लिये उपाध्यक्ष महोदय, इनको बिल्कुल इजाजत नहीं देनी चाहिये तथा आप आदेश जारी कीजिये कि आइन्दा जब लोक सभा बैठती है, उसी समय नीति सम्बन्धी घोषणायों की जायें ताकि सदन को मौका मिले अपनी बात रखने का और सरकारी नीति पर अपना प्रभाव डालने का।

**श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) :** उपाध्यक्ष महोदय, अध्यादेश जारी करने के समय हमेशा यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि जब पार्लियामेंट का सेशन खत्म हो गया हो, तो क्या इतनी जरूरी बात है कि अध्यादेश जारी करना चाहिये। यह केवल एक अध्यादेश नहीं है आप यदि अध्यादेशों के इतिहास में जाएँ, मैं उसको दोहराने की जरूरत नहीं समझता मैंने देखा है कि जब भी कोई ऐसी चीज आती है कि जिसमें अध्यादेश जारी करना चाहते हैं या लाना चाहते हैं सरकार की तरफ से कि जिसमें लोक सभा का कोई विरोध हो या लोक सभा में उसकी टीका-टिप्पणी होने वाली हो, तो वे इन्तजार करते हैं कि कब लोक सभा खत्म हो जाय और खत्म होने के बाद वह अध्यादेश जारी किया जाय।

चीनी की बात मेरे दोस्त मधु लिमये ने की है, यह अध्यादेश जारी किस के लिये किया गया है, क्या इस से वाकई जनता को सठ्ठलियत मिली, क्या उस को सही तरीके से शुगर मिली, या यह इस लिये जारी किया गया है कि इस में—आप जानते हैं आम तरीके से महाराष्ट्र का आप का तजुर्बा क्या है, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश का तजुर्बा यह है कि चीनी, चुनाव, चन्दा एक साथ चला करते हैं। इसी लिये यह किया गया है। जब से यह अध्यादेश जारी किया गया है, मैं कानपुर से आया हूँ, जो चीनी आड़त का सबसे बड़ा मर्कज है, वहाँ पर चीनी ओपन मार्केट में 7 रु० किलो मिलनी शुरू हो गई है और आगे मालूम नहीं 10 रु० या 11 रु० किलो मिलेगी।

इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस की मुद्दालफत करता हूँ—एक तो इस लिये कि यह गैरमौजू है कि इस तरह से अध्यादेश लाया जाय, दूसरे बिना सोचे समझे कि इस अध्यादेश से बावई जनता में चीनी का वितरण सही तरीके से हो सकेगा। इस के बारे में मंत्री महोदय हम लोगों को एक तो यह वचन दें कि आइन्दा इस तरह से अध्यादेश जारी नहीं किया जायगा, दूसरा वचन यह होना चाहिये कि वह हम को समझायें कि चीनी के बारे में उनकी स्पष्ट नीति क्या है। स्पष्ट नीति जब तक हमारे सामने नहीं आयेगी, मैं समझता हूँ कि इस का विरोध हम लोग करेंगे। कन्ट्रोल और डी-कन्ट्रोल—इस सरकार की अजीब हालत है। यह दो पींगें हैं—जिस तरह से कि बच्चा लेटता रहता है। कन्ट्रोल-डी-कन्ट्रोल, नशाबन्दी-नशा-खोरी—कुछ बात समझ में नहीं आती है। भगवान की दया है कि यहां सेन्टर में यह सरकार बन गई है, इसलिये मैं चाहता हूँ कि जब तक यहां ये लोग हैं, तब तक कम से कम पार्लियामेंट की अवहेलना न करें। इन को मालूम था कि आज सदन में इन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ सकता था, फौरन चार मिनिस्टर भरती कर लिये। इन को अपने ही आदमियों पर विश्वास नहीं है तो दूसरों के लिये क्या कर सकते हैं।”

**संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :** अविश्वास है कहां ?

**श्री स० मो० बनर्जी :** इसीलिये तो आप ने पहले से भरती कर लिये हैं। मेहर-बानी कर के आप इस बात को सोचिये और इनको कहिये, कड़े शब्दों में कहिये, जैसे आप कभी कभी नाराज हो जाते हैं, इन को कहिये।

**SHRI ANNASAHIB SHINDE :** I do not think this is the time when we should go into the merits or demerits of the ordinance.

**MR. DEPUTY SPEAKER :** The main objection is that when the session was on the policy was under consideration and

some decisions were to be taken. Immediately after the session, you have come forward with a policy. That is the main objection.

**SHRI ANNASAHIB SHINDE :** There has been no effort whatsoever to by-pass the Parliament and this hon. House. We respect very much this House and the hon. Members also. The sugar situation had become very difficult. There were many agencies to be consulted. We have to consult the Chief Ministers and the State Governments. We considered the matter every three months and naturally when the situation in regard to sugar production was very difficult, the Government took some time in arriving at some decision. But it was inevitable and inherent in the situation itself. I think as soon as the Government decision was arrived at—on the previous day it was arrived at—the next day, it was announced in the Rajya Sabha. Unfortunately at that time the Lok Sabha was not in session. Otherwise, we could have come with some explanatory statement to this House itself.

**SHRI S. M. BANERJEE :** You are going to convert this Lok Sabha into Parlok Sabha.

**SHRI ANNASAHIB SHINDE :** When the Bill is discussed, we can go into the merits and demerits of this case. I would humbly submit that there has been no attempt whatsoever on the part of the Government to by-pass this Parliament or to show any disrespect to this hon. House.

14.15 hrs.

**KHADI AND OTHER HANDLOOM INDUSTRIES DEVELOPMENT (ADDITIONAL EXCISE DUTY ON CLOTH) AMENDMENT BILL\***

**THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI) :** On behalf of Shri Dinesh Singh, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Khadi and other Handloom Industries Development (Additional Excise Duty on Cloth) Act, 1953.

**MR. DEPUTY SPEAKER :** The question is :

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Khadi and

\* Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 2, dated 14-11-67.